छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

--

क्रमांक 1271/एल-6/6/वित्त/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 09/09/2010.

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
---------------------- विभाग,
मंत्रालय, रायपुर।

विषयः- वर्ष 2010-2011 की प्रथम तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा बैठक के संबंध में ।

संदर्भः- वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1080/एल-6/6/वित्त/ब-4/2010 रायपुर, दिनांक 05.08.2010

--

उपरोक्त विषयांतर्गत सचिव वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 16-18 अगस्त, 2010 को आयोजित विभागवार समीक्षा बैठक में आपके विभाग से संबंधित कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(सतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग से श्री शर्मा, विशेष कर्तव्स्थ अधिकारी व श्री जे.बी. सिंग, मुख्य विद्युत निरीक्षक व अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही के आय–व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय–व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में विभागीय आय 21.35 प्रतिशत है जो कि विगत वर्ष के प्रथम त्रैमास की तुलना में 0.54 प्रतिशत अधिक है। श्री शर्मा द्वारा बताया गया कि ऊर्जा उपकर की वर्तमान दर 5 पैसे प्रति यूनिट से 10 पैसे करने हेतु मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 21.07.2010 में स्वीकृति प्राप्त हुई है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात् माह अक्टोबर 2010 से राजस्व में वृद्धि होना संभावित है। माह अक्टोबर 2010 से मार्च 2011 तक लगभग 30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध व्यय आयोजनेत्तर मद में 0.97 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय निरंक है। अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

खनिज विभाग

खनिज विभाग से श्री एस. के. त्रिवेदी, प्रभारी संचालक व श्री दीवान, संयुक्त संचालक उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही के आय–व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय–व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में विभागीय आय 24.51 प्रतिशत है जो कि विगत वर्ष के प्रथम त्रैमास की तुलना में 2.89 प्रतिशत अधिक है। श्री त्रिवेदी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी त्रैमास में वृद्धि होगी तथा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आय की संभावना है। इस हेतु पुनरीक्षित बजट में आय के वार्षिक लक्ष्य में वृद्धि हेतु विभाग यथासमय प्रस्ताव प्रेषित करेगा।

वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध व्यय आयोजनेत्तर मद में 5.23 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय निरंक है। अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

वाणिज्य एवं उद्योग

उद्योग विभाग से श्री के. एन. फुलझेले, उप संचालक, उद्योग, श्री भूपेन्द्र शर्मा, सहायक संचालक, उद्योग तथा श्री वचनराम जांगड़े, लेखाधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही के आय-व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय-व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही में विभाग की आय 3.85 प्रतिशत है जो कि विगत वर्ष के प्रथम त्रैमास की तुलना में बहुत कम है। विभाग को आय में वृद्धि हेतु प्रयास करने का सुझाव दिया गया। विभाग के अधीनस्थ **पंजीयक फर्मस् एवं संस्थाऐं** कार्यालय की प्रथम तिमाही की आय 35.60 प्रतिशत है जो कि विगत वर्ष के प्रथम त्रैमास की तुलना में 201 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही में विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध व्यय आयोजनेत्तर मद में 21.52 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय निरंक है। अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

इसके साथ ही विभागीय योजनाओं का परीक्षण कर समान उद्धेश्यों की योजनाओं को एक ही योजना के तहत् रखने का सुझाव दिया गया तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से ही विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के अनुरक्षण हेतु राशि व्यय करने का सुझाव दिया गया।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

राजस्व, राहत, पुर्नवास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

राजस्व विभाग से डॉ. श्री संजय अलंग, संयुक्त सचिव, श्री मूर्ति, लेखाधिकारी, श्री एम. एल. दास, सहायक, व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही के आय-व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय-व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही में विभाग के अधिनस्थ **आयुक्त, भू-अभिलेख** कार्यालय की आय 33.34 प्रतिशत है जो कि विगत वर्ष के प्रथम त्रैमास की तुलना में 3.66 प्रतिशत अधिक है। **पुर्नवास कार्यालय** की प्रथम त्रैमास की आय 19.09 प्रतिशत है जो कि विगत वर्ष के प्रथम त्रैमास की तुलना में 2.33 प्रतिशत कम है। इसी तरह **संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री** कार्यालय की प्रथम त्रैमास की आय 9 प्रतिशत है जो कि विगत वर्ष के प्रथम त्रैमास की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2010-11 के वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही में विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में (मांग संख्या-58) अन्तर्गत व्यय 35.88 प्रतिशत तथा आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। **आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय** अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में व्यय 20.57 प्रतिशतहै। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में व्यय निरंक है तथा केन्द्र क्षेत्र योजनाओं में व्यय 6.17 प्रतिशत है। **राजस्व मंडल बिलासपुर** का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोनेत्तर व्यय 0.22 प्रतिशत है। **पुनर्वास आयुक्त** कार्यालय का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 15.80 प्रतिशत है। **संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री** कार्यालय आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 7.41 प्रतिशत है।

अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग से श्रीमति ऋचा शर्मा, आयुक्त, छ्ग. भवन, नई दिल्ली, श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, श्री पी. लकड़ा, लेखाधिकारी, श्री के. डी. झारिया व अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही के आय-व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय-व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही में **सामान्य प्रशासन विभाग** के आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में प्रावधानित राशि के विरूद्ध व्यय रूपये 980.48 लाख है जो कि प्रावधान का 20.17 प्रतिशत तथा आय निरंक है। विभाग के अन्तर्गत **राज्यपाल सचिवालय** अन्तर्गत आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 18.37 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **लोक सेवा आयोग** कार्यालय अन्तर्गत आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 25.19 प्रतिशत है। आय रू. 6.61 लाख है जो कि 1.65 प्रतिशत है। **आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली** कार्यालय हेतु आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में प्रावधानित राशि 470.50 लाख के विरूद्ध व्यय 126.54 लाख है जो कि प्रावधान का 26.89 प्रतिशत है। प्रथम त्रैमास में आय का प्रतिशत 31.74 प्रतिशत है। (भवन से कक्ष किराया, एयरटेल, हच एंटिना एवं चाणक्य भवन के किराया भुगतान एवं अन्य प्रतिपूर्तियों से आय 15.87 लाख है।) **राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो** कार्यालय का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 16.52 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय** का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 18.88 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **छ.ग. प्रशासन अकादमी** का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर व्यय 15.50 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **छ. ग. लोक आयोग** कार्यालय का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर व्यय 9.17 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **विशेष अन्वेषण स्थापना**, छ.ग. लोक आयोग कार्यालय का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर व्यय 24.39 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **राज्य शिष्टाचार अधिकारी कार्यालय** का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर व्यय 7.20 प्रतिशत तथा आय निरंक है।

मानव अधिकार आयोग का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर व्यय 28.80 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)** कार्यालय का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर व्यय 18.84 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **छ.ग. राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय** का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 15.29 प्रतिशत तथा आय निरंक है।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

ग्रामोद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग

ग्रामोद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग से श्री एन. पी. देवांगन, संयुक्त संचालक, श्री आर. एल. उईके, उप संचालक तथा श्री शफीक अहमद, संयुक्त संचालक व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही के आय–व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय–व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में आय निरंक है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 28.91 प्रतिशत तथा आयोजना मद में प्रावधान के विरूद्ध व्यय 8.97 प्रतिशत है। जो कि बहुत कम है। केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजना में व्यय निरंक है। **रेशम प्रभाग** के अन्तर्गत प्रथम तिमाही में आय रूपये 10.91 लाख है जो कि 8 प्रतिशत है। विगत वर्ष की तुलना में आय 6 प्रतिशत अधिक है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 20 प्रतिशत तथा आयोजना मद में रूपये 1150 लाख के प्रावधान के विरूद्ध व्यय मात्र 1.29 लाख है। जो कि बहुत ही कम है। इसी प्रकार केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजना में भी व्यय निरंक है। **छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड** कार्यालय की प्रथम तिमाही में आय निरंक है। आयोजनेत्तर मद में प्रावधान निरंक है। आयोजना मद में व्यय भी निरंक है। **छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड** कार्यालय की आय निरंक है। आयोजनेत्तर मद तथा आयोजना मद में व्यय निरंक है।

अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

कृषि विभाग

कृषि विभाग से श्री एस. के. सारस्वत, अपर संचालक, श्री प्रदीप दवे, उप सचिव, सुश्री एम. वंदना, संयुक्त संचालक व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही के आय-व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय-व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषि एवं अभियांत्रिकी विभाग की वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही में आय 29 प्रतिशत है। विगत वर्ष की तुलना में आय 12 प्रतिशत अधिक है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 15 प्रतिशत तथा आयोजना मद में प्रावधान के विरूद्ध व्यय 27 प्रतिशत है। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं में व्यय निरंक है। **उद्यानिकी विभाग** की प्रथम तिमाही की आय 11.18 प्रतिशत है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 21.49 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय 25.41 प्रतिशत है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में व्यय निरंक है।

अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

पशुपालन

पशुपालन विभाग से श्री के. एस. मरावी, संयुक्त संचालक, डॉ. श्री महावीर सरसिंहा, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही के आय–व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय–व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग की वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में आय रूपये 21.35 लाख है जो कि 6.01 प्रतिशत है। विगत वर्ष की तुलना में आय 3.39 प्रतिशत कम है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 21.40 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय 1.63 प्रतिशत है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में व्यय 0.18 प्रतिशत है।

अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

मछलीपालन विभाग

मछलीपालन विभाग से श्री व्ही. के. शुक्ला, संचालक, व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही के आय-व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय-व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मछलीपालन विभाग की वर्ष 2010-11 के प्रथम तिमाही में लक्ष्य रूपये 157.50 लाख के विरूद्ध आय रूपये 17.47 लाख है जो कि लक्ष्य का 11.08 प्रतिशत है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 24.82 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय 10.21 प्रतिशत है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में व्यय निरंक तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं में व्यय 0.05 प्रतिशत है।

अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

खाद्य विभाग से श्री युनूस, उप संचालक व श्री दिलीप वासनीकर, नियंत्रक, नापतौल एवं उप सचिव, खाद्य व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही के आय–व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय–व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में आय रूपये 5.26 लाख है जो कि लक्ष्य का 4.57 प्रतिशत है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 0.68 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय 0.17 प्रतिशत है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं में व्यय निरंक है। **छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग कार्यालय** आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर मद में व्यय 19.49 प्रतिशत तथा आय निरंक है। **नियंत्रक, नापतौल कार्यालय** का आयोजना मद में प्रावधान निरंक है। आयोजनेत्तर व्यय 16.38 प्रतिशत तथा आय 11.70 प्रतिशत है।

अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग से श्री एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव व श्री उमेश तिवारी व अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। विभाग को वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही के आय–व्यय की पृविष्टि वित्त विभाग की वेबसाईट में दिए सॉफ्टवेयर में करने तथा मासिक आय–व्यय की पृविष्टि नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सहकारिता विभाग की वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में आय 0.12 प्रतिशत है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर मद में व्यय 28.30 प्रतिशत तथा आयोजना मद में व्यय निरंक है।

अतः विभाग को समानुपातिक रूप से व्यय सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं हेतु प्रावधानित राशि को आवश्यकतानुसार शीघ्र विमुक्ति की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायो–टेक्नोलॉजी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायो–टेक्नोलॉजी विभाग से कोई भी अधिकारी चर्चा हेतु उपस्थित नहीं हुए।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010–11 के प्रथम तिमाही में आय निरंक है। विभागीय योजनाओं में प्रावधानित राशि के विरूद्ध आयोजनेत्तर तथा आयोजना मद में व्यय निरंक है।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

सचिव विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

1 विभाग के द्वारा कुछ मांग संख्या में बिल्कुल व्यय नही किया गया उन्हे व्यय करने के लिए निर्देशित किया गया ।

2. छठवे वेतनमान के एरियर के संबध में शेष लंबित एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिये गये ।

3. केन्द्र प्रवर्तित योजना के व्यय के संबध में जानकारी ली गई ।

4. जिन मांग संख्या में कम व्यय किये गये है उसके बारे में जानकारी ली गई

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

जनसंपर्क विभाग

1. विभाग के द्वारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये ।

1. विभाग के आय में लक्ष्य से अधिक जमा राशि के संबध में चर्चा किया गया सबधित विभाग द्वारा बताया गया कि यह आय छत्तीसगढ संवाद के द्वारा अधिक भुगतान के संबधित वसूली का है ।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग

1. विभाग के द्धारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये ।कार्यालय प्रमुखो द्धारा समय पर मासिक व्यय पत्रक नही प्रेषित करने पर कार्यालय प्रमुख के वेतन रोकने संबंधी कार्यालय के निर्देश दिये गये।

2.विभाग के शिक्षकों के छठवे वेतनमान के एरियर की राशि का आहरण कोषालय से किया जाकर ' के डिपाजिट 'में निर्देशानुसार जमा करने के निदेश दिये गये ,यूजीसी से राशि प्राप्त होने पर ही राशि का आहरण ' के डिपाजिट' से किया जावे ।

2. जिन मदो पर अधिक व्यय किया गया उनकी जॉच कराई जावे

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

संचालक तकनीकि शिक्षा विभाग

1.विभाग के द्धारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये । जिन मांग संख्या में कम व्यय किये गये है उसके बारे में जानकारी ली गई

2.स्वाशासी तकनीकी संस्थाओं के विकास निधि की राशि के व्यय के संबध में स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिये गये । ऐसे मद जिनका व्यय विकास निधि से किया जाता है , वह व्यय शासकीय मद से नही किया जाए , अन्यथा विकास निधि की राशि को शासकीय कोष में जमा करते हुए आवश्यकतनुसार बजट में व्यय के प्रावधान करने की कार्यवाही की जाए । विकास निधि की राशि को बैक के स्थान पर तत्काल कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर रखने के निर्देश दिये गये ।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

जनशक्ति नियोजन विभाग

1.मिनी आई टी0 आई0 की स्थापना की राशि का बजट का प्रावधान करवाना है ।

2. प्रत्यैक बालक से ट्यशन फीस की प्राप्त राशि 1000 रूपये की राशि को शासन के पीडी एकांउन्ट में रखने के निर्देश दिये गये ।

3.विभाग के द्धारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

स्कूल शिक्षा विभाग विभाग

1..विभाग के द्वारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये

2..सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले गये शालाओं में पदस्थ नियमित शिक्षको के वेतन का भुगतान भी सर्व शिक्षा अभियान की निधि से करने के निर्देश दिये गये ।

आदिम जाति कल्याण विभाग

1विभाग के द्वारा कुछ मांग संख्या में बिलकुल व्यय नही किया गया उन्हे अनुपातिक व्यय करने के लिए निर्देशित किया गया ।

2. छठवे वेतनमान के एरियर के संबध में शेष लंबित एरियर के भुगतान की जानकारी उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये ।

3. केन्द्र प्रवर्तित योजना के व्यय के संबध में जानकारी ली गई ।

4. जिन मांग संख्या में कम व्यय किये गये है उसके बारे में जानकारी ली गई

5.छात्रवृति की राशि का व्यय एकमुश्त अग्रिम आहरण न किया जावे छात्रवृति की राशि आहरण एवं व्यय के संबध में विभाग को स्पष्ट निर्देश दिये जाने के निर्देश दिये गये ।

6. शिक्षाकर्मियों के संबध में विभाग से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

संसदीय कार्य विभाग

1.विभाग के द्धारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये

2.विभाग के द्धारा छठवें वेतनमान के एरियर राशि के शीध्रातशीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये गये ।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.विभाग के द्वारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये

2.केन्द्र प्रवर्तित योजना / केन्द्र क्षेत्रीय योजना के आबंटन एवं व्यय के पांच वर्ष के आकडें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये

3.छठवे वेतनमान के एरियर के संबध में शेष लंबित एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिये गये ।

4.जिन मांग संख्या में कम व्यय किये गये या बिल्कुल व्यय नही किया गया है उसके बारे में जानकारी ली गई व व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया व अगामी बजट चर्चा में जानकारी लेकर आने को कहा गया ।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

संचालक आयुर्वेद योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा

1..विभाग के द्धारा आय व्यय की जानकारी वित्त विभाग के बेबसाइट में नही डाला गया है उन्हे तीन दिवस में बेबसाइट में डालने के निर्देश दिये गये

2.केन्द्र प्रवर्तित योजना / केन्द्र क्षेत्रीय योजना के आबंटन एवं व्यय के पांच वर्ष के आकडें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये

3.छठवे वेतनमान के एरियर के संबध में शेष लंबित एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिये गये ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

आवास एवं पर्यावरण विभागः-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 276.35 लाख के विरूद्ध रूपये 94.01 लाख का व्यय प्रथम तिमाही में किया गया है, जो कि 34 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 37791.50 लाख के विरूद्ध मात्र रूपये 1.98 लाख का व्यय किया गया है । बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नया रायपुर में मंत्रालय भवन निर्माण हेतु इस वर्ष संभावित राशि रूपये 2300.00 लाख भारत सरकार से प्राप्त न होने के कारण अव्ययित रही है । इस प्रकार विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान रूपये 40467.85 लाख के विरूद्ध केवल रूपये 95.99 लाख का व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 0.24 प्रतिशत है ।

विभाग की राजस्व प्राप्तियां मद में बजट प्रावधान रूपये 40.00 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में प्राप्तियां रूपये 15.89 लाख हैं, जो कि प्रावधानित राशि का लगभग 40 प्रतिशत है ।

सचिव, वित्त द्वारा आय-व्यय की समीक्षा के साथ ही विभाग को नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नया रायपुर क्षेत्र में करवाये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों हेतु प्राधिकरण को राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से दिये गये वित्तीय अधिकारों की सीमा के अंतर्गत ही स्वीकृति/व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग:-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 49074.50 लाख के विरूद्ध रूपये 9035.70 लाख का व्यय प्रथम तिमाही में किया गया है, जो कि 18.41 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 48726.00 लाख के विरूद्ध रूपये 575.33 लाख का व्यय किया गया है, जो कि 1.18 प्रतिशत है । इस प्रकार विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान रूपये 97800.50 लाख के विरूद्ध रूपये 9611.03 लाख का व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 9.83 प्रतिशत है ।

विभाग की राजस्व प्राप्तियां मद में बजट प्रावधान रूपये 855.30 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में प्राप्तियां रूपये 126.08 लाख रही हैं, जो कि प्रावधानित राशि का 14.74 प्रतिशत है ।

सचिव, वित्त द्वारा आय-व्यय की समीक्षा के साथ ही विभाग को निम्नानुसार जानकारी वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये -

1- प्रवेश कर चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान मद की राशि गत वर्ष की प्रवेश कर मद में राज्य को प्राप्त वास्तविक राजस्व के 90 प्रतिशत के बराबर नगरीय निकायों को देय होता है । अतः बजट में प्रावधानित राशि विभाग को वित्त विभाग की सहमति से आहरित करना चाहिये । विभाग वर्ष के अंतिम त्रैमास के लिये इस मद में अनुदान राशि का आहरण वित्त विभाग की सहमति से करे ताकि निकायों पर राज्य शासन के विभिन्न बकाया राशियों का समायोजन इस मद से किया जा सके ।

2- नगरीय निकायों पर शासन के किन विभागों का कितना बकाया है ?

3- नगरीय निकायों पर राज्य शासन के बकाया ऋणों की वसूली प्रवेश कर अनुदान से की जावे ।

4- विभाग में प्रचलित केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की वित्त संरचना, योजनांतर्गत किये जाने वाले कार्य का विवरण एवं भारत सरकार के स्वीकृति आदेश सहित जानकारी ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागः-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 42409.00 लाख के विरूद्ध रूपये 2158.50 लाख का व्यय प्रथम तिमाही में किया गया है, जो कि 5.09 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 73685.54 लाख के विरूद्ध रूपये 9013.55 लाख का व्यय किया गया है, जो कि 12.23 प्रतिशत है । इस प्रकार विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान रूपये 116094.54 लाख के विरूद्ध रूपये 11172.05 लाख का व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 9.62 प्रतिशत है ।

विभाग की राजस्व प्राप्तियां मद में बजट प्रावधान रूपये 370.00 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में प्राप्तियां केवल रूपये 2.45 लाख ही रही हैं, जो कि प्रावधानित राशि का मात्र 0.66 प्रतिशत है ।

सचिव, वित्त द्वारा आय-व्यय की समीक्षा के साथ ही विभाग को निम्नानुसार जानकारी वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये -

1- राज्य की ग्राम पंचायतों पर पूर्व पदाधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप उनसे वसूली हेतु कितनी राशि वसूल की गई है एवं कितनी राशि बकाया है ? कितनी पंचायतों में शासकीय राशि के गबन के प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? पंचायत निरीक्षक कितनी पंचायतों का निरीक्षण कर चुके/रहे हैं ?

2- पंचायतों के स्तर पर अधोसंरचना/दुकानों/सामुदायिक भवनों आदि के निर्माण उपरांत इन स्रोतों से कितनी आय हो रही है एवं इस राशि का व्यय कहॉं किया जा रहा है ? ग्राम पंचायतों के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों से होने वाली राजस्व आय की जानकारी वित्त विभाग व महालेखाकार को दी जावे एवं पंचायतों के पदाधिकारियों की संपूर्ण जानकारी भी वित्त विभाग को दी जावे ।

3- विभाग में प्रचलित केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की वित्त संरचना, योजनांतर्गत किये जाने वाले कार्य का विवरण एवं भारत सरकार के स्वीकृति आदेश सहित जानकारी ।

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

लोक निर्माण विभागः–

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 56153.74 लाख के विरूद्ध रूपये 7815.14 लाख का व्यय प्रथम तिमाही में किया गया है, जो कि 13.92 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 127905.29 लाख के विरूद्ध रूपये 25829.00 लाख का व्यय किया गया है, जो कि 20.19 प्रतिशत है । इस प्रकार विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान रूपये 184059.03 लाख के विरूद्ध रूपये 33644.14 लाख का व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 18.28 प्रतिशत है ।

विभाग की राजस्व प्राप्तियां मद में बजट प्रावधान रूपये 2791.50 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में प्राप्तियां रूपये 577.83 लाख रही हैं, जो कि प्रावधानित राशि का 20.70 प्रतिशत है ।

सचिव, वित्त द्वारा आय–व्यय की समीक्षा के साथ ही विभाग को निम्नानुसार जानकारी वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये –

1– राज्य में गत 10 वर्षो में कुल कितने नवीन पुल निर्मित कर लोकार्पित किये गये हैं ? इनमें से कितने पुलों पर पथकर वसूल किया जा रहा है व इनसे कितनी आय हो रही है ?

2– कितने पुराने पुलों पर अवधि समाप्ति के उपरान्त पथकर वसूली बंद की गई है व इससे प्राप्तियों में कितनी कमी हुई है ?

3– लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों की पंजीयन दरों व नवीनीकरण की दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे ।

4– शासकीय आवासों/भवनों की किराया दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे ।

5– राज्य में हवाई पट्टियों के विस्तार/मरम्मत/अनुरक्षण मद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरूप मानक लागत के आधार पर बजट प्रावधान करवाया जावे ।

6– विभाग द्वारा करवाये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यो, यथा– सड़क, पुल, भवनों आदि की योजनावार प्रशासकीय स्वीकृति, अद्यतन व्यय एवं शेष दायित्वों की विस्तृत जानकारी वित्त विभाग को प्रेषित की जावे ।

7– विभाग के सड़क एवं भवन निर्माण हेतु प्रचलित SOR दरों का पुनरीक्षण किया जावे ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

जल संसाधन विभाग

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 13551.68 लाख के विरूद्ध रूपये 3524.72 लाख का व्यय प्रथम तिमाही में किया गया है, जो कि 26.01 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 162671.30 लाख के विरूद्ध रूपये 24300.15 लाख का व्यय किया गया है, जो कि 14.94 प्रतिशत है । इस प्रकार विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान रूपये 176222.98 लाख के विरूद्ध रूपये 27664.26 लाख का व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 15.70 प्रतिशत है ।

विभाग की राजस्व प्राप्तियां मद में बजट प्रावधान रूपये 94223.00 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में प्राप्तियां रूपये 7351.80 लाख रही हैं, जो कि प्रावधानित राशि का 7.80 प्रतिशत है ।

सचिव, वित्त द्वारा आय-व्यय की समीक्षा के साथ ही विभाग को निम्नानुसार जानकारी वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये -

1- विभाग की विभिन्न वृहद्, मध्यम व लघु परियोजनाओं में कार्यरत अमले, मशीनों एवं संचालन तथा संधारण व्यय की जानकारी ।

2- विभाग द्वारा कृषि एवं घरेलू उपभोग हेतु जल दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे ।

3- औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अधिग्रहण के कारण केलो परियोजना के अंतर्गत आने वाले कमाण्ड क्षेत्र में कमी को देखते हुए परियोजना की लागत की समीक्षा की जावे । साथ ही बांध की height व नहरों की लंबाई की recasting कर परियोजना लागत का पुनरीक्षण किया जावे ।

4- औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार के कारण परियोजनावार कृषि कमाण्ड क्षेत्र कितना कम हो रहा है, इसकी जानकारी तैयार की जावे ।

5- विभाग की सिंचाई परियोजनाओं की कुल रूपांकित क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचित क्षमता कितनी प्राप्त की गई है, परियोजनावार विवरण दें ।

6- वनभूमि प्रभावित होने के कारण कितनी परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य नहीं हो पा रहा है, की जानकारी दें ।

7-हसदेव-बांगो, केलो परियोजना सहित अन्य वृहद्/मध्यम परियोजनाओं में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर विचार किया जावे

वर्ष 2010–11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय–व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

वन विभाग

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 38125.46 लाख के विरूद्ध रूपये 9563.88 लाख का व्यय प्रथम तिमाही में किया गया है, जो कि 25.08 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 28535.50 लाख के विरूद्ध रूपये 1958.38 लाख का व्यय किया गया है, जो कि 6.86 प्रतिशत है । इस प्रकार विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान रूपये 66660.96 लाख के विरूद्ध रूपये 11522.26 लाख का व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 17.28 प्रतिशत है ।

विभाग की राजस्व प्राप्तियां मद में बजट प्रावधान रूपये 43500.00 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में प्राप्तियां रूपये 10898.89 लाख रही हैं, जो कि प्रावधानित राशि का 25.05 प्रतिशत है ।

सचिव, वित्त द्वारा आय–व्यय की समीक्षा के साथ ही विभाग को यह निर्देश दिये गये कि विभाग द्वारा गत 10 वर्षो में वनमंडल स्तर पर वन क्षेत्रों में वर्षवार, कूपवार, किन प्रजातियों के कितने पौधे रोपित किये गये एवं उन पर कितनी लागत आयी, संबंधी विस्तृत जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे, ताकि वन वृक्षारोपण की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके ।

2– विभाग में प्रचलित केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की वित्त संरचना, योजनांतर्गत किये जाने वाले कार्य का विवरण एवं भारत सरकार के स्वीकृति आदेश सहित जानकारी वित्त विभाग को प्रस्तुत की जावे ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागः-

विभाग द्वारा आयोजनेत्तर मद में बजट प्रावधान रूपये 11275.61 लाख के विरूद्ध रूपये 2255.52 लाख का व्यय प्रथम तिमाही में किया गया है, जो कि 20 प्रतिशत है । आयोजना मद में बजट प्रावधान रूपये 24280.94 लाख के विरूद्ध रूपये 5813.85 लाख का व्यय किया गया है, जो कि 23.94 प्रतिशत है । इस प्रकार विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान रूपये 35556.55 लाख के विरूद्ध रूपये 8069.37 लाख का व्यय किया गया है, जो कुल बजट का 22.69 प्रतिशत है ।

विभाग की राजस्व प्राप्तियां मद में बजट प्रावधान रूपये 660.00 लाख के विरूद्ध प्रथम तिमाही में प्राप्तियां रूपये 86.73 लाख रही हैं, जो कि प्रावधानित राशि का 13.14 प्रतिद्गात है ।

सचिव, वित्त द्वारा आय-व्यय की समीक्षा के साथ ही विभाग को नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजनाओं हेतु राज्य शासन द्वारा गत 10 वर्षो में दिये गये ऋण की वर्षवार एवं निकायवार जानकारी वित्त विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ताकि नगरीय निकायों पर बकाया ऋण राशि की वसूली की जा सके ।

2- विभाग में प्रचलित केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की वित्त संरचना, योजनांतर्गत किये जाने वाले कार्य का विवरण एवं भारत सरकार के स्वीकृति आदेश सहित जानकारी वित्त विभाग को प्रस्तुत की जावे ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

श्रम विभाग

श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित भारत शासन से सहायता प्राप्त राशियों के बारे में विलंब से प्राप्त होने वाली राशियां अथवा न प्राप्त होने वाली राशियों के बारे में स्कीम समाप्ति हेतु चर्चा की गई ।

2. बीड़ी श्रमिकों के आवास-गृह का निर्माण 40 प्रतिशत राज्य शासन की ओंर से तथा 45 प्रतिशत केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली राशि में से औसतन 1,07,000 में आवास निर्माण का प्रस्ताव रखा गया जिसमें बाद में 80000/-रू. प्रति आवास के मान से निर्माण हेतु सुझाव दिया गया ।

3. श्रम विभाग के अंतर्गत बाल श्रमिकों के पुर्नवास स्कीम विचाराधीन की सूचना है । दुर्घटना होने पर 20000/-रू. प्रति श्रमिक मान से दिये जाने के निर्देश दिये गये । इसमे 6 प्रतिशत प्रति श्रमिक से संकलित कर राज्य सरकार से भी अंशदान आबंटित किया जाता है । श्रम संचालक से लेबर एक्ट (बायलॉज) वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिस पर संचालक श्रम व्दारा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया ।

4. श्रम विभाग के अधीनस्थ जमा लगभग एक करोड़ राशि के आडिट के निर्देश दिये गये । इसी प्रकार निर्माण कार्यो की जांच आडिट, बायलॉज नियम निर्देश का पालन किये जाने राशि को पीडी एकाउंट में रखने बाबत निर्देश दिये गये । साथ ही श्रम विभाग के अधीनस्थ संनिर्माण एक्ट 2008 की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

श्रम कल्याण राज्य कर्मचारी बीमा सेवायें

1. राज्य बीमा सेवाओं हेतु मेडिकल कालेज खोलने हेतु 300 एकड़ जमीन विधान सभा रोड पर आंबटित किये जाने तथा 700 करोड़ रू के बजट प्रावधान तथा भिलाई में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हेतु जानकारी दी गई ।
2. श्रम विभाग के अधीनस्थ चूंकि पूरी राशि भारत शासन प्राप्त होती है अतः रिक्त पदों को भरने हेतु प्राथमिकता से चर्चा की गई ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

1. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्कीम वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये । राशि खर्च न कर पाने के कारण स्कीम बंद करने की भी चर्चा की गई जिस पर अवगत कराया गया कि खेल कूद सिंतबर-अक्टूबर माह से प्रांरभ होते है । ऐसी स्थिति में समयावधि में राशि खर्च कर ली जायेगी । विभाग के पास उपलब्ध राशि को राष्ट्रीयकृत बैकों में जमा कर शासन को जानकारी देने के निर्देश दिये गये ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

महिला बाल विकास विभाग

1. विभाग को दी गई योजनाओं में राशि नहीं खर्च हो पाने के कारण उनके कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया । इसमें आयुष्मति योजना को परीक्षण उपरांत समाप्त करने हेतु विचार करने के निर्देश दिये गये ।

2. न्यूट्रिशन सर्विलेंस योजना के विगत पांच वर्षो के लेखा-जोखा को सुचारू रूप से संघारित करने के निर्देश दिये गये । विभाग में संचालित योजनाओं को शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही (अप्रेल 2010 से जून 2010) के आय-व्यय की विभागवार समीक्षा बैठक का विवरण।

गृह विभाग

गृह विभाग के बजट को पूर्ण स्कीम सहित एकांउट को साप्ट वेयर में रखने के निर्देश दिये गये । इसमे रेल्वे, पुलिस आधुनिकीकरण प्रशिक्षण तथा नक्सल से प्रभावित चिकित्सा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जेल, परिवहन, विमानन, पर्यटन, संस्कृति एवं पुरातत्व, वित्त योजना, वाणिज्य कर, पंजीयन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकीय से संबंधित उपस्थित प्रतिनिधियों से चर्चा की गई तथा निर्देश दिये गये कि आय-व्यय एवं मासिक जानकारी निश्चित समय पर कम्प्यूटर में फीड की जावें ।